पत्रांक :–3/यो01–12/2023 (उ0 शि0) 59/9५८/

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, रॉंची।

रॉंची, दिनांक 21/05/2025/

विषयः– **सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत दुमका जिले के सरैयाहाट में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु रू0 39,51,39,000/– (उनचालीस करोड़ एकावन लाख उनचालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 25,00,00,000/–(पचीस करोड़ रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंगः– 1. स्वीकृत्यादेश संख्या 199/बजट दिनांक 01.10.2024
2. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉंची का पत्रांक 1075(नि0) दिनांक 14.05.2025

आदेश– स्वीकृत ।

राज्य में उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार लाने एवं उसके सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार दृढ़संकल्पित है। वर्तमान में झारखण्ड का सकल नामांकन अनुपात 18.6 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 28.4 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक (Multi-disciplinary) के रूप में विकसित किया जाना है तथा सकल नामांकन अनुपात (GER) को वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सकल नामांकन अनुपात (GER) में वृद्धि के उदेद्श्य से आवश्यकता के आधार पर डिग्री महाविद्यालय, सरैयाहाट के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान लघुशीर्ष –102–विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू0 400.00 करोड़ का बजट उपबंध है।

3. उपरोक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत दुमका जिले के सरैयाहाट में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु रू0 39,51,39,000/– (उनचालीस करोड़ एकावन लाख उनचालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 25,00,00,000/–(पचीस करोड़ रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025–26 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष–"मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष– BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान , 01– उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78–पूॅजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड– 21S220203796BP010678) (स्कीम कोड–2104) के अंतर्गत होगा।

5. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
–	–	–

6. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक–21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

7. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा सिद्धों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

9. सिद्धों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची के पी0 एल0 खाता–8448 में राशि अंतरित कर दी जायेगी।

10. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची को निदेशित किया जाता है कि उक्त राशि का निकासी PWD Code के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।

11. स्वीकृत्यादेश संख्या 199/बजट दिनांक 01.10.2024 में अंकित शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

15. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

16. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

17. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

18. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

21/5/25

(जॉर्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3/यो01–12/2023 (उ0 शि0) 59/बजट /रॉची, दिनांक– 21/05/2025

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/5/25

(जॉर्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3/यो01–12/2023 (उ0 शि0) 59/बजट /रॉची, दिनांक– 21/05/2025

प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/5/25

(जॉर्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।